निर्णय बइजलास सुरेशचन्द्र रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अरनोद

प्रकरण सं.- 79/16 दायरा तारीख - 12-7-16

1. श्री प्रकाश पिता जगन्नाथ जाति कुमावत
2. श्रीमती मोहनबाई बेवा जगन्नाथ जाति कुमावत
नि० दलोट (प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्री गोपाल पिता बसन्तीलाल कुमावत
नि. दलोट
2. तहसीलदार अरनोद

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

1. श्री ईश्वर चौधरी - अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. " अर्जुन वैष्णव - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

• प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आरटी एक्ट •

:- निर्णय :- दिनांक 30/3/21

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य यह है कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा-188 आर.टी. एक्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है। मौजा दलोट में खाता सं. 204 आ० नं० 1282 रकबा 0.43 है० प्रार्थीगण के खाते की है। अप्रार्थी सं. 1 आये दिन प्रार्थीगण के अकेले होने का फायदा उठाकर लड़ाई-झगड़ा करता है और जमीन अपने नाम कराने का दवाब डालते हुये जान से मारने की एलानिया धमकीया देता है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर विरासत में प्राप्त हुयी है। उक्त आराजी 1282 की पत्थरगढी बाबत न्यायालय से आदेश भी प्राप्त किया परन्तु राजस्वकर्मी पत्थरगढी नहीं करने पर प्रार्थना-पत्र पेश किया।

आराजी नं. 1282 पर प्रार्थीगण खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

पक्षकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी क्र. 1 को जबरन कब्जा करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन से नहीं होगी।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा फैसला के निस्तारण तक पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की आरा. नं. 1282 पर मदाखलत, मजाहमत नहीं करे, कब्जा न करे, लड़ाई-झगड़ा न करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री अर्जुन वैष्णव अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के हम रिकॉर्ड खातेदार है और यह आराजी पुश्तैनी होकर हमें विरासत में प्राप्त हुयी है जिस पर अप्रार्थी सं. को दखलअंदाजी का कोई हक नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थी सं. 1 जारी की जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने निवेदन किया कि विगत 50 वर्षों से ~~[illegible]~~ हमारा कब्जा है। भोगीलाल को पक्षकार नहीं बनाया है। एल आर एक्ट की धारा 91-128 में पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर करवा लिये परन्तु बारिश के कारण पत्थरगढ़ी नहीं हुयी। प्रार्थी को धारा-188 में न आकर धारा-183 में बेदखली हेतु आना चाहिये था। 188 में कब्जा नहीं हटाया जा सकता है। हमारा एडवर्स पजेशन होने से हम खातेदार हो चुके है और हमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जानी चाहिये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगणों को पाबंद किया जावे।

मैंने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

कर गहन अध्ययन किया और बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर किया।

जाहिर हुआ कि वादग्रस्त आराजी 1282 रकबा 0.43 हैक्ट. जमाबंदी सम्वत् 2066-69 जगन्नाथ पिता भागीरथ कुमावत की दर्ज होकर उसके फौत होने पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुयी। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब की प.सं. 3 में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को मौके से बिना कब्जे के आवंटित करवा ली जबकि इस सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। कब्जे के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का साक्ष्य अप्रार्थी सं. 1 ने प्रस्तुत नहीं किया है। रही बात एडवर्स पजेशन की तो आर.टी. एक्ट में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान करने के कोई प्रावधान नहीं है।

निष्कर्षत: प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में अवलम्बित होते हैं। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है वह प्रार्थीगण की आराजी नं. 1282 रकबा 0.43 है० पर किसी भी प्रकार की मजाहमत - मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार हो नम्बर से कम किया जाकर मूलवाद के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 3/21

पीठासीन अधिकारी